भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1868

दिनांक 11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

एडीपी और एबीपी के आमेलन हेतु डीएमएफ कार्यक्रम

1868. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' (एडीपी) और 'आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम' (एबीपी) के साथ 'जिला खनिज फाउंडेशन' (डीएमएफ) निधि को आमंत्रित करने के लिए एक 'आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम' शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य उद्देश्य क्या हैं और कार्यान्वयन के ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों द्वारा अपने संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) नियमों में संशोधित 'प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना' (पीएमकेकेकेवाई), 2024 के दिशानिर्देशों को अपनाने से होने वाले वांछित संरचनात्मक और सामाजिक लाभ क्या हैं;

(ग) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत खनन प्रभावित जिलों में 'जिला खनिज फाउंडेशन' के माध्यम से राजस्थान को प्राप्त कुल निधि का ब्यौरा क्या है और इसके साथ ही बजट आवंटन, इसके उपयोग और शुरू की गई प्रमुख कल्याणकारी परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राजस्थान में दौसा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पिछले एक वर्ष के दौरान जिला खनिज फाउंडेशन निधि की सहायता से स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) कार्यों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी) के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित

करने के उद्देश्य से तथा गुणक प्रभाव और खनन प्रभावित समुदायों हेतु सुदृढ़ परिणामों के लिए चालू केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ डीएमएफ निधियों के अभिसरण हेतु दिनांक 9 जुलाई, 2025 को 'आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम' के दिशानिर्देश जारी किए हैं। खान मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2024 में जारी संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देशों में दिए गए ढांचे के अनुसार जिले अपने संबंधित डीएमएफ के माध्यम से कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं।

(ख) से (घ) राजस्थान राज्य सहित राज्यों द्वारा उनके डीएमएफ नियमों में अपनाए गए संशोधित पीएमकेकेकेवाई दिशानिर्देश, 2024, जिला-स्तरीय शासन को सुदृढ़ करते हैं तथा खनन प्रभावित क्षेत्रों में संरचनात्मक और सामाजिक लाभों को पहुचाते हैं। ये दिशानिर्देश डीएमएफ की शासी परिषद, जो परियोजनाओं को मंजूरी देती है, के माध्यम से जिला स्तर पर योजना और कार्यान्वयन संबंधी कार्य करते हैं। इन दिशानिर्देशों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा डीएमएफ निधियों की लेखापरीक्षा का भी प्रावधान है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुदृढ़ होगी।

ये दिशानिर्देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों (जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित) में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, अवसंरचना, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सहित क्षेत्रों के लिए डीएमएफ निधियों के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं। डीएमएफ निधियों का उपार्जन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत खनन पट्टा धारकों से वैधानिक अंशदान के माध्यम से होता है। डीएमएफ निधि संग्रहण, आवंटन और उपयोग पर राज्य/जिला-वार डेटा https://mines.gov.in/webportal/content/state-dmf. डीएमएफ पर उपलब्ध है।

*****